

हिन्दू संगठन और सत्तावादी राजनीति

मधुकर दत्तात्रेय देवरस
(बालासाहब देवरस)



जागृति प्रकाशन, नौएडा-२०१३०१

परिशिष्ट-१ आपातकाल में प्रधानमन्त्री की लिखा प्रथम पत्र

श्रीमती इन्दिरा गान्धीजी, प्रधानमन्त्री, सचिवालय, २, बंगला, नया दिल्ली-११०००२।
दिनांक-२२.८.१९७५।

सप्रेम नमस्कार,
दि० १५ अगस्त, १९७५ को दिल्ली के लालकिले से राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए जो भाषण आपने किया, उसमें आकाशवाणी से, यहाँ कारागृह में गोर से सुना। आपका भाषण सम्वोधित एवं संतुलित हुआ और इसलिये यह पत्र लिखने को मैं प्रवृत्त हुआ हूँ।
मुझे दि० ३०.६.७५ को नागपुर में स्थानबद्ध किया गया। उसके कुछ दिनों बाद मुझे नागपुर से पूना लाकर कारागृह में रखा गया है। उसके अनन्तर दि० ४.७.७५ को केन्द्र सरकार ने एक विशेष आदेश निकालकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबन्ध लगाया। प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में अखबारों से जो जानकारी मिली है, उससे ऐसा मालूम होता है कि संघ के, उसके स्वयंसेवकों के एवं उसके जिम्मेदार कार्यकर्ताओं के कारनामों, देश की अन्तर्गत सुरक्षितता, सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था में बाधास्वरूप हैं; ऐसे कारणों को देखकर संघ पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। पूरे देश में अलग-अलग स्थानों पर अनुमानतः संघ के २३,००० अधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं को स्थानबद्ध किया गया है। अखबारों में आई जानकारी से ही यह विदित हुआ है।

दर्मियान के समय में आपके और कुछ वरिष्ठ नेताओं तथा अधिकारियों के वक्तव्य और अखबारों को दी गई भेटवार्ताएँ पढ़ने को मिलीं। उसी संक्षिप्त जानकारी के आधार पर यह पत्र आपको लिख रहा हूँ।

संघ पर प्रतिबन्ध लगाने का निश्चित कौन-सा कारण है, इसका ठीक से आकलन प्रतिबन्ध के आदेश में नहीं होता। देश की आन्तरिक सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था को खतरा पहुँचे, ऐसा कोई भी काम कभी भी १० स्व० संघ ने नहीं किया है। अखिल हिन्दू समाज को एकता, स्वत्वपूर्ण एवं संगठित करना, यह संघ का हेतु है। समाज में अनुशासन का निर्माण हो, ऐसा भी संघ का प्रयत्न है। उसी के अनुरूप वैचारिक मार्गदर्शन संघ में किया जाता है। साथ ही उसी के लिये उपयुक्त ऐसी कार्यपद्धति का अवलम्ब किया गया है। अतः सार्वजनिक शान्ति, व्यवस्था व अन्तर्गत सुरक्षा को बाधा पहुँचाने जैसी कोई बात संघ में नहीं है।

संघ पर कुछ लोग, कभी-कभी आरोप करते हैं। उन सभी आरोपों का खण्डन करना इस पत्र में सम्भव नहीं। फिर भी यह स्पष्ट करना तो आवश्यक है कि संघ ने कभी भी हिंसाचार (वायलेन्स) किया नहीं। न ही वैसी सौख संघ ने कभी किसी को दी है। संघ ऐसी बातों में विश्वास नहीं करता। संघ के स्वयंसेवकों ने तोड़-फोड़, हिंसा एवं अत्याचारपूर्ण काम किए, ऐसा पिछले ५० वर्षों में एक भी उदाहरण देखने को नहीं मिला। देश में दंगा-फसाद,

इसकी अनेक घटनायें हुईं। किन्तु उनमें स्वयंसेवकों का हाथ था, ऐसा किसी भी न्यायालय के निर्णय से अथवा सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग की रिपोर्ट से प्रतीत नहीं होता। कारण स्पष्ट है कि संघ ने कभी ऐसा कृत्य नहीं किया। इस प्रकार की संघ की भूमिका या सोख नहीं है।

फिर भी संघ के सम्बन्ध में दूषित पूर्वाग्रह होने से कुछ लोग संघ पर मिथ्या आरोप लगाते हैं। उदाहरणस्वरूप स्व० ललितनारायण मिश्र जी की हत्या में संघ का सम्बन्ध बताने का प्रयास कुछ लोगों ने जन्मब्याजी में किया। अब तो जॉन्-पडताल के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि, इस घटना से संघ का कतई सम्बन्ध नहीं है। गाँवों जी की हत्या से भी संघ का सम्बन्ध जोड़ने का मिथ्या प्रयत्न, अभी भी कुछ लोग करते हैं। वस्तुतः इस घटना से संघ का कित्तिवन्ध भी सम्बन्ध नहीं था, यह साबित हो चुका है। इसलिये उसके सम्बन्ध में इस पत्र में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। संघ के सभी पदाधिकारी समाज के प्रतिष्ठान्तापन नागरिक हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सांप्रदायिकता का आरोप करने वाले भी कुछ लोग हैं। पर उनका यह आरोप भी निराधार है। यद्यपि संघ का कार्यसंग्रहित केवल हिन्दू समाज तक ही सीमित है, फिर भी किसी अहिन्दू के खिलाफ कुछ भी, संघ में सिखाया नहीं जाता। संघ में मुसलमानों का द्वेष करना सिखाया जाता है, यह कहना भी सर्वथा असत्य है। इस्लाम धर्म, मोहम्मद पैगम्बर, कुतान तथा ईसाई धर्म, ईसा मसीह, बाइबिल इनके सम्बन्ध में संघ में अनुचित शब्द का भी प्रयोग नहीं होता। इतना ही नहीं बल्कि 'सर्वधर्मसमभाव' याने 'एक सद्बिप्रा: बहुधा वदन्ति' यह जो हिन्दुओं की विशेषता है, उसी को संघ सर्वोपरि मानता है। मुसलमान, ईसाई, पारसी आदि अन्याय धर्मी लोगों से संघ के अनेक स्वयंसेवकों के अच्छे, आर्मीयतापूर्ण सम्बन्ध हैं। हिन्दू समाज एवं अहिन्दू समाज—इनकी सामाजिक समस्यार्यें भिन्न हैं। अतः १० स्व० संघ ने अपना कार्य हिन्दू समाज तक ही मर्यादित रखा है। हिन्दुओं में जातिभेद, भाषाभेद और अन्य कारणों से जो उत्पन्नीयता, परस्पर-विरोध एवं अन्तगाव की भावना पैदा हो गई है, उसका निर्वूलन कर, सारा हिन्दू समाज, एकता, संगठित करने का संघ का प्रयत्न है। इस कार्य की आत्यंतिक आवश्यकता आपको भी मंजूर होगी। सांप्रदायिक व जातीय सम्बन्ध जाने जैसा संघ का स्वरूप नहीं है, यह इससे विदित हो सकता है। सबको अपनी उपासना-पद्धति की स्वतंत्रता रहे, ऐसी ही संघ की धारणा है।

हिन्दू समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उत्तम नागरिक, देशभक्त एवं तच्चरित्र बनाने का कार्य १० स्व० संघ निर्वार्यभाव से कर रहा है। अपने ही शासन पर उस पर प्रतिबन्ध लगने, यह तो मात्र दैवदुर्विहास है।

वनवासियों, पददलितों एवं गरीबों सहित सारे समाज की स्थिति सुधारने का कार्य तुलन होने जैसा नहीं है। यह मार्ग प्रदीप्य, त्यागपूर्ण एवं कटकाकीर्ण है। इस कार्य को करने के लिये अनेक के सहयोग की आवश्यकता है। 'समाज की सच्ची शक्तियाँ अपने-अपने क्षेत्र में, इस कार्य में नेकी से लग जानी चाहिए' ऐसा जो आपने अपने १५ अगस्त के भाषण में सारे समाज को आह्वान किया वह सम्वोधित ही था। १० स्व० संघ का कार्य सम्पूर्ण भारत में सच दूर फैला हुआ है, उसमें समाज के सभी वर्गों, स्तरों के लोग हैं। अनेक त्यागी

कार्यकर्ता संघ में हैं। संघ का सारा कार्य निर्याद भावना पर आधारित है। संघ की ऐसी शक्ति का योजनापूर्वक उपयोग देश के उत्थान के लिये होना जरूरी है। संघ के सम्बन्ध में पूर्वाग्रह छोड़कर आप विचार करें, ऐसी प्रार्थना है। प्रजातन्त्रीय देशों में संगठन स्वातंत्र्य का मूलभूत अधिकार होता है, उसके ध्यान में लेकर १०० संघ पर जो प्रतिबन्ध है, उसे हटाएँ, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आपके उचित जान पड़े, तो आपसे मिलने में मुझे आनन्द ही होगा।

भवदीय
मधुकर दत्तात्रेय देवरस

परिशिष्ट-२

आपातकाल में प्रधानमन्त्री को लिखा द्वितीय पत्र

आदरणीय श्रीमती इन्दिरा गांधीजी, यरवदा मध्यवर्ती कारागृह
प्रधानमन्त्री, भारत सरकार, पुणे ६
नई दिल्ली, दिनांक-१०.११.७५

सादर नमस्कार,
उच्चतम न्यायालय के पत्रों न्यायाधीशों ने आपका चुनाव वैध ठहराया, इसके लिये आपका हार्दिक अभिनन्दन।

मैंने दि० २२.८.७५ को आपको एक पत्र यरवदा कारागृह में से लिखा था। वह पत्र आपको सीधा भेजा जाना चाहिए था, किन्तु ऐसा न होकर वह भद्राहाड शासन की ओर गया और वहाँ से दि० ६.९.७५ को आपको भेजा गया, ऐसा मुझे बतलाया गया है। वह आपको मिला ही होगा। आपकी ओर से उस पत्र के उत्तर की मैं प्रतीक्षा कर रहा था। दि० २२.८.७५ के मेरे पत्र में उल्लिखित बातों का पुनरुच्चारण मैं अभी इस पत्र में नहीं करूँगा। किन्तु दरमियान के समय में दि० २२.७.७५ को संसद में किए आपके भाषण की पुस्तिका एवं आपातकाल के समर्थन में दिये कार्यों की सरकारी पुस्तिकाओं के मराठी संस्करण मेरे देखने में आये।

आपके भाषण में और इन पुस्तिकाओं में संघ के सम्बन्ध में गलतफहमियों पर आधारित अनेक विधान किये हैं। वे निरस्य ही गलत हैं।

उनमें संघ के प्रारम्भिक सरसंचालक के १०० पृ० गोलबलकरी के 'अवर नेशनल डिफेंस' और 'बन्धु आफ थाट्स' इन पुस्तकों में से कुछ वाक्य उद्धृत किये हैं। महात्मा गांधी एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समान ही के १०० गोलबलकरी एक अष्ट विचारक थे। संघ के प्रत्येक विचारों के अन्तर्गत अन्य विषयों के सम्बन्ध में भी उनका बोलना एवं लिखना स्वाभाविक ही था। उनके वे विचार बिना संदर्भ के समझे नहीं जा सकते। १०० गांधी

ने एक बार कहा था कि 'मुस्लिम इज ए बुनी एण्ड हिन्दू इज ए कावर्ड'। पंडित जवाहरलाल नेहरूजी ने अधिकांश मुसलमान भाइयों का समर्थन पाने वाली मुस्लिम लीग की आलोचना की थी। इस प्रकार कहना या इस प्रकार की आलोचना यह किसी एक व्यक्ति की आलोचना करने जैसा है। के० पू० गुरुजी ने मुस्लिम धर्म, मो० पैगम्बर या कुरान तथा ईसाई धर्म तथा ईसायसीय या बाइबिल, इनकी कभी भी आलोचना नहीं की।

अपने भाषण में दो-एक कमीशनों की रिपोर्टों का उल्लेख आपने किया है। उनमें से एकाय वाक्य लेकर संघ का फसादी से सम्बन्ध जोड़ने का प्रयत्न किया है। अब तक कई बार फसादत हुए। उनके सम्बन्धों में कमीशन (आयोग) निष्पत्ति किये गये। किन्तु उन आयोगों ने उन दंगों के संदर्भ में संघ को निर्दोष घोषित किया है। दंगों के बाद के मुकदमों में भी किसी संघ के स्वयंसेवक व पदाधिकारी को सजा हुई, ऐसा उदाहरण नहीं है।

म० गांधी की हत्या के संदर्भ में आपने सरदार पटेलजी के एक पत्र का उल्लेख किया है। श्री पटेल गृहमंत्री थे और सरकारी नीति का समर्थन करने के लिये उनका ऐसा पत्र लिखना स्वाभाविक था। किन्तु उनके पत्रों की प्रकाशित पुस्तक में प्रधानमंत्री को लिखा एक पत्र भी है। जिसमें म० गांधीजी की हत्या से संघ का कुछ भी सम्बन्ध न होने का विश्वास उन्होंने प्रकट किया है। वह पत्र आपकी जानकारी में शायद नहीं आया है।

संघ को आपने फासिट कहा है और फासिज्म माने झूठ का प्रचार ऐसा भी कहा है। अफवाह फैलाने इत्यादि बातें करने का जो आरोप आपने संघ पर लगाया है, वह पूर्णतः निराधार है। अखबारों पर सेन्सरशिप लागू करने के बाद समाज में अनेक अफवाह फैलती हैं, इस बात की दुनिया भर में मिसालें हैं। अतः अफवाह फैलाने का आरोप संघ पर लगाया अनुचित है।

फासिज्म का सम्बन्ध विचारधारा के साथ-साथ कार्यप्रणति से भी होता है। इन दोनों दृष्टियों से संघ का फासिज्म से सम्बन्ध नहीं आता। इटली के फासिस्ट एवं जर्मनी के नाज़ी, दोनों अपने को "नेशनल सोशलिस्ट" कहते थे। संघ की विचारधारा प्रधानतः हिन्दुओं की आध्यात्मिक परम्परा पर आधारित है। कार्यप्रणति की दृष्टि से फासिस्ट वे ही होते हैं जो अपने को एकदम न होने वाली पर जुनून् करते हैं। जो सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। जो सत्ता प्राप्ति के बाद विरोधियों का बलपूर्वक दमन करते हैं। संघ तो सत्ता की राजनीति से मूलभूत रूप से दूर रहा है। संघ में लोग केवल ध्येय से अनुप्राणित होकर और स्वच्छ से ही आकृष्ट होते हैं। ऐसी स्थिति में संघ को फासिस्ट कहना सर्वथा अनुचित है।

श्री जयप्रकाश नारायणजी के आन्दोलन के संदर्भ में संघ का नाम लिखा गया है। गुजरात आन्दोलन, विहार आन्दोलन, तिनके सम्बन्ध में सरकार की ओर से संघ का नाम बार-बार और बिना कारण जोड़ा गया, अतः मेरा उसके बारे में कुछ कहना क्रमप्राप्त था। इन आन्दोलनों से संघ का कुछ भी सम्बन्ध नहीं, इसके स्पष्टीकरण में मैंने केवल दो बातें प्रमुखतः कही हैं। एक, वे आन्दोलन जनता में व्याप्त असन्तोष के कारण हुए हैं अतः उसके लिये आप और हम सभी जिम्मेदार हैं। और दूसरी, यह कि श्री जयप्रकाशजी को सी० आर० ए० का एजेंट, सरपंचद्वारा का साथी, देशद्रोही करना यह ठीक नहीं, अनुचित है। वे भी देशभक्त हैं। आपके भाषणों में भी अनेक बार ऐसे ही विचार कहे गये हैं।

अराजकता के बारे में मैंने अपने हर बार के भाषण में उसका विरोध किया है। संघ और अराजकता—वे परस्पर-विरोधी बातें हैं।

अराजकतेषु राष्ट्रेषु धर्मो न व्यवस्थितः।
परस्परं च खान्ति तस्मात् धिक् अराजकम्॥

यह महाभारत का वचन समर्थन में देकर मैंने अराजकता का विरोध एवं निषेध ही किया है।

संघ के सम्बन्ध में किये गये सभी आरोपों का उत्तर देने का यह स्थान नहीं है और पत्र में तो यह सम्भव भी नहीं है। सम्भव हुआ तो मुलाकातों में स्पष्ट किया जा सकता है। फिर भी इतना स्पष्ट करना है कि आपके द्वारा किए गए विधान वास्तविकता से दूर हैं। संघ के बहाने भूमि पीटने जैसे हैं। आपके विधान गलत जानकारों पर आधारित दिखाई देते हैं। संघ के सम्बन्ध में आपकी धारणाएँ दूषित पूर्वाग्रह पर आधारित हैं। राजनीति से सम्बन्धित कुछ लोगों के आपसे मिलकर, आपकी गलत या कल्पित जानकारी देने के परिणामस्वरूप ऐसा हुआ होगा।

संघ के पदाधिकारी एवं स्वयंसेवक—ये प्रतिष्ठाप्राप्त नागरिक हैं, ऐसी ही जानकारी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की ओर से मिलती होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अपने-अपने स्थानों पर सार्वजनिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व तत्सम क्षेत्रों में वे अग्रसर हैं। संघ का कार्य सर्वदा निर्दोष और नितोष है, ऐसी ही जानकारी आपको मिलती होगी।

अतएव मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप प्रत्यक्ष वस्तुस्थिति को जानें, दूषित पूर्वाग्रह छोड़ें, संघ के सम्बन्ध में उचित धारणा बनायें, स्थानबद्ध किए हुए संघ के हजारों लोगों को मुक्त करें और संघ पर लगे निर्बंधों को दूर करें। ऐसा करने से संघ के लाखों स्वयंसेवकों की निर्यादभाव से कार्य करने की शक्ति सरकारी एवं गैर-सरकारी राष्ट्रीयद्वारक कामों में लगेगी और हम सबकी इच्छा के अनुसार अपना देश समृद्ध होगा।

पत्र के उत्तर की अपेक्षा करता हूँ।

भवदीय
मधुकर दत्तात्रेय देवरस

परिशिष्ट-३

आपातकाल में आचार्यकुल सम्मेलन से पूर्व श्री चिन्मोबा भावे को लिखा पत्र

यरवदा मध्यवर्ती कारागृह
पुणे-६
१२-१-७६

पूजनीय आचार्य श्री चिन्मोबाजी की चरण सेवा में,

दिनांक १६, १७, १८ जनवरी ऐसे तीन दिन, आपके मार्गदर्शन में देश के आचार्य आदि की बैठक होने वाली है, और उसमें वर्तमान विगड़ी हुई परिस्थिति पर मूलतः विचार होने जा रहा है, ऐसा विदित हुआ है। यह जानकर प्रसन्नता हुई। इस बैठक में वर्तमान आपातकालीन परिस्थिति में से कुछ मार्ग निकाला जाएगा, ऐसा विश्वास होने लगा है। इस अवसर पर हमारी भूमिका आपको स्पष्ट रूप से मालूम हो, इसलिए यह छोटा-सा पत्र लिख रहा हूँ।

१०० श्री गुरुजी के देहावसान के बाद मुझ पर संघ कार्य की जिम्मेदारी आयी। उसके बाद मैं आपके दर्शनार्थ पवनार आया भी था। आपने मुझे दर्शन देकर आशीष दिया था, यह मेरे स्मरण में नित्य रहता है। आपके पुण्यमय आशीष के बल पर मैं अपने पर आम्ही जिम्मेदारी यथाशक्ति निभाने का प्रयत्न कर रहा हूँ।

१०० श्री गुरुजी का तथा आपका परिषद था ही। समय-समय पर होने वाली आप दोनों की मुलाकातों में देश, काल, परिस्थिति तथा संघ कार्य के सम्बन्ध में बातें भी होती थीं। मैं जब आपके दर्शनार्थ आया था, तब उसी प्रकार बातें हुईं। इतना ही नहीं, मैं भी संघ का असम्बन्ध सम्यक् हूँ ऐसा मानिए, ऐसा मुझसे कहकर आपने संघ कार्य के लिये आशीष एवं प्रोत्साहन दिया था।

पहले की तरह मेरे संघ कार्य करते रहते अनपेक्षित रूप से संघ पर प्रतिबन्ध लगाया गया और मुझे स्थानबद्ध करके यहाँ यरवदा कारागृह में रखा गया। सारे देश में हजारों कार्यकर्ताओं को विभिन्न स्थानों पर इसी प्रकार से जेलों में दूँस दिया है। स्थानबद्ध करने का यह क्रम अभी भी जारी है।

संघ पर लगाया गया यह प्रतिबन्ध और अनेक कार्यकर्ताओं की स्थानबद्धता, यह मेरी दृष्टि में गलत धारणा पर आधारित है। विशेषतः प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का, अनेक सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा संघ के बारे में गलत धारणा कर दी गई है, ऐसा दिखाई देता है। यह गलत धारणा दूर करके संघ कार्य के वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर देने का अवसर प्राप्त हुआ नहीं और इसलिये संघ एवं संघ के कार्यकर्ताओं पर यह संकट आया है।

इस कारागृह में से श्रीमती इन्दिरा गांधी को हमारी भूमिका पत्र द्वारा स्पष्ट करने का मैंने दो बार प्रयास किया। किन्तु उस पर विचार हुआ है ऐसा अभी भी दिखाई नहीं देता। इतना ही नहीं, अर्पित मेरे पत्रों के मिलने की जानकारी भी मुझे दी नहीं गई। संघ पर अनेक आरोप लगाये जाते हैं। और संघ की इकरतफा और कठोर आलोचना

भी की जाती है। उस आलोचना में संघ पर किये जाने वाले सभी आरोप एकदम झूठ हैं, निराधार हैं। उन सभी आरोपों का उत्तर देने का प्रयत्न करना यह इत पत्र का हेतु नहीं। संघ का लक्ष्य, उसकी कार्यप्रणाली और उसका कार्य, इसकी आपको जानकारी है ही।

संघ हिन्दू-संगठन करना चाहता है, यह बात सत्य है। किन्तु इससे वह सांप्रदायिक वा जातीय नहीं होता। इस देश में हिन्दुत्व का विचार संकुचित व सांप्रदायिक कैसे हो सकता है, यह सपस में नहीं आता। यदि हिन्दुओं का संगठन करते समय अहिन्दुओं के विरुद्ध हम कुछ करते हैं, तो बात अलग हो सकती है। अन्य धर्मावलंबियों के विरुद्ध संघ में एक अक्षर भी अनुचित नहीं कहा जाता। उनका हिस्सा प्रकाश से भी छेप दिया अथवा सिखाया नहीं जाता। इतना ही नहीं अपितु कुरान, मोहम्मद पैगम्बर और इस्लाम धर्म, साथ ही बाइबिल, येशु ख्रीस्त और ईसाई धर्म के सम्बन्ध में ५० पृ० श्री गुरुजी के भाषणों में आदरपूर्वक ही उल्लेख किया गया है। संघ का कार्य इन पचास वर्षों के खुले मेदान पर खुलेतौर से चल रहा है। इस कालावधि में हिन्दू-मुसलमानों में कुछ फसादात भी हुए, पर ऐसे किसी भी फसाद में संघ ने कभी भी भाग नहीं लिया। फसादों के बाद आयोग (कमीशन) नियुक्त किये गये। उनके रिपोर्ट भी आये। पर कभी भी संघ को दोषी नहीं माना गया अथवा किसी पर मुकदमा भी किया नहीं जा सका।

कुछ लोग बिना कारण मान लेते हैं कि संघ हिंसा को प्रोत्साहन देता है। पर यह धारणा गलत है। संघ का हिंसाचार पर क्विचिद्व्यवाह भी विश्वास नहीं। संघ ने हिंसाचार कभी किए नहीं, न कभी हिंसाचार को प्रोत्साहन दिया है।

व्यक्ति-व्यक्ति पर सुरक्षार करना यह संघ का प्रधान कार्य है। संघ तथा अनुशासन के संस्कार संघ स्वयंसेवकों पर किये जाते हैं, अतः उसमें हिंसाचार के लिये स्थान ही ही नहीं सकता। ५० श्री गुरुजी तथा मेरे भी भाषणों में हिंसा तथा अराजकता की आलोचना की गई है।

अराजकेषु राष्ट्रेषु धर्मो न व्यवतिष्ठते। परस्परं च खादन्ति तस्मात् सिद्धं अराजकम्।

इस वचन का हवाला देकर अहिंसात्मक, शान्तिमय परिवर्तन पर ही जोर दिया गया है। संघ पर फासिस्ट होने का आरोप भी लगाया जाता है। किन्तु जो संगठन सत्ता प्राप्ति की राजनीति से सर्वथा दूर है और जिसमें लोग-केवल स्वच्छ और ध्येय से प्रेरित होकर ही आ सकते हैं, और आते हैं, वह संगठन फासिस्ट कैसे हो सकता है?

जो सत्ता व सामर्थ्य का उपयोग करके लोगों में भय निर्माण करते हैं अथवा जुलम-जोर-जबर्दस्ती करते हैं उन्हें ही फासिस्ट कहा जा सकता है। संघ को कदापि नहीं। संघ की विचारधारा हमारे नैतिक सिद्धान्तों और आध्यात्मिक परम्परा पर आधारित है। ऐसा होने से संघ को फासिस्ट कहना सर्वथा अनुचित, अन्याय तथा असत्य है। सत्तास्थानों से दूर रहकर व्यक्ति-व्यक्ति पर संस्कार करके समाज परिवर्तन करने का काम स्वयंसेवी संस्थाओं को करना चाहिए, ऐसी ही हमारी विचारधारा एवं व्यवहार है, यह आपको विदित है ही। अस्तु।

देश की वर्तमान विकट परिस्थिति के सम्बन्ध में आप तथा देश के विद्वज्जन अब विचार करने वाले हैं। स्वाभाविक है, २० स्व० संघ के सम्बन्ध में अब चर्चा होगी। संघ के बारे में आप तो सब कुछ जानते हैं। अतएव प्रार्थना है कि आप अग्रसर होकर ऐसा योग्य मार्ग निकालें जिससे संघ पूर्ववत् काम कर सके, ताकि उसकी शक्ति रचनात्मक काम के उपयोग में आ सके।

आपका आशीर्वाद रहे यही प्रार्थना।

प्रति-
आचार्य श्री विनोबा भावे,
पवनार आश्रम, वर्धा,
ताल्लुका व जिल्हा वर्धा

भवदीय
मधुकर दत्तात्रेय देवरस

आचार्यकुल सम्मेलन के बाद श्री विनोबा भावे को लिखा पत्र

मधुकर दत्तात्रेय देवरस
सेंट जार्ज्स हास्पिटल,
प्रिन्स वाई नं. १४ मुंबई

पूजनीय आचार्य श्री विनोबाजी की
चरण सेवा में

मेने आपको दिनांक १२.१.७६ को वरदा कारागृह से एक पत्र लिखा था। पवनार में आचार्यों की बैठक शुरू होने के समय वह आपको मिला होगा, ऐसी आशा है। उस पत्र में आज संघ पर जो आरोप किये जाते हैं, उनके विषय में संघ का क्या करना है, यह मेने लिखा था और आपसे प्रार्थना की थी कि संघ के ऊपर का प्रतिबन्ध टूटे, इसके लिये आप पहल करें।

आपके मार्गदर्शन में आचार्यों की बैठक में जो विचारमंचन हुआ और सर्वसम्मत निर्णय हुए, वे अखबारों में पढ़ने को मिले और उसके कारण सभी बन्धुओं के मन में अच्छे भविष्य के विषय में आशा बंधी।

जहाँ तक मुझे याद है, मैं समझता हूँ कि आपको और श्रीगुरुजी की कोलार में (नागपुर-वर्धा रोड) मुलाकात हुई थी। आपने गुरुजी से जब पूछा कि अन्य धर्मों के विषय में आपको दृष्टिकोण सहिष्णुता का है या नहीं, तो श्रीगुरुजी ने कहा था कि हम अन्य धर्मों के विषय में सहिष्णुता का भाव ही लेकर नहीं चलते, अपितु उन धर्मों का आदर भी करते हैं।

आपने उत्तर प्रदेश, विहार तथा अन्य प्रान्तों में भू-दान के निमित्त जब पदवना की तब स्वयंसेवक बन्धु आपसे सर्वत्र मिले और आपके वहाँ के कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। संघ के स्वयंसेवकों का व्यवहार और विचार हमसे आप भली-भाँति परिचित हैं।

अखबारों में आया है कि माननीय प्रधानमंत्री आपको पवनार आश्रम में दि० २४ को मिलने वाली हैं। उस समय देश की परिस्थिति के विषय में चर्चा होगी। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप प्रधानमंत्री की संघ के विषय में जो गलत धारणा है, उसे दूर करने का प्रयास करें और उसके फलस्वरूप संघ के स्वयंसेवक कारागृह से मुक्त हों, संघ के ऊपर का प्रतिबन्ध उठे और आज देश में जो सभी क्षेत्रों में उन्नति की योजनाएँ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रही हैं उसमें संघ और संघ के स्वयंसेवक भी अपना योगदान दे सकें, ऐसी स्थिति का निर्माण हो।

आपका आशीर्वाद रहे, यही प्रार्थना है।

भवदीय
मधुकर दत्तात्रेय देवरस
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

पुनश्च.....

दि० १२. १. ७६ का पत्र शायद मिला न हो इसलिये उसकी प्रतिलिपि भेज रहा हूँ। म० द० देवरस

प्रति-
आचार्य श्री विनोबा भावे
पवनार आश्रम, वर्धा
ताल्लुका व जिल्हा वर्धा.

जमशेदपुर का भाषण

१ अप्रैल, १९७६ को जमशेदपुर (बिहार) के रींगल मैदान में यह सार्वजनिक भाषण हुआ। इसके दस दिन बाद ११ अप्रैल को रामनवमी थी। रामनवमी के जन्म पर नए पुत्रलिया मार्ग और मार्ग क्र० ७ के चौराहे पर एकत्रित मुसलमानों ने ईट-पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। जन्म के लोगों ने कोई प्रतिकार नहीं किया। आगे चलकर मार्ग क्र० ३ के चौराहे के पास पुनः मुसलमानों द्वारा ईट-पत्थर के साथ-साथ बम, बोतल बम और अन्य विस्फोटक पदार्थ फेंके जाने लगे और इसी के बाद जमशेदपुर में दंगा शुरू हो गया जो १४ अप्रैल तक चलता रहा, जिसमें १०० व्यक्ति मारे गए।

सत्तावादी राजनीतिज्ञों द्वारा तुलना आरोप लगा दिया गया कि यह दंगा बालासाहब के भाषण के कारण हुआ है जबकि इसका मूल कारण था डेढ़ माह पूर्व एक कुख्यात अपराधी अनवर शिया की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु। बिहार सरकार द्वारा इन दंगों की जांच के लिए गठित जितेन्द्रनाथराय आयोग ने भी बाद में शायद सत्तावादी राजनीतिज्ञों को खुश करने के लिए बालासाहब के भाषण को उग्र भावनाएँ षड़काने वाला करार दिया, जबकि डेप किए गए और शब्दशः मुद्रित उस पूरे भाषण को आयोग ने रिकार्ड में ही नहीं लिखा था। अतः इस भाषण की ऐतिहासिकता को देखते हुए हम इस टेषाकित भाषण को शब्दशः ज्यों-क्यों (बिना किसी सम्पादन) के यहाँ दे रहे हैं।

इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का यहाँ सम्मेलन हो रहा है, उस सम्मेलन में मुझे उपस्थित होना था। तो यहाँ के कार्यकर्ताओं ने ऐसा सोचा कि यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम भी हो, बंधुओं को निमंत्रित किया जाय और उनके सामने मैं संघ के विषय में कुछ बोलूँ।

आजकल संघ सर्वत्र चर्चा का प्रमुख विषय बना है। लोग संघ के बारे में सोचते थे, और कुछ माना में यह सच भी था कि संघ प्रसिद्धि-पराङ्मुख है। किन्तु अब हमारी जो प्रसिद्धि हो रही है, वह इतनी हो रही है कि उसका वर्णन अगर हम अंग्रेजी में करें- 'पब्लिसिटी इन दी वेन्नीचन्स' तो वह सच होगा। राजनीतिक दल, राजनीतिक नेताओं की तो संघ के विषय में कुछ न कुछ रोज़ कहते हैं, लिखते हैं। कई राजनीतिक नेताओं की तो हालत ऐसी है कि अगर वे संघ के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, तो शायद उनकी रात को नींद भी ठीक से नहीं आवेगी। संघ का कार्य सार्वजनिक कार्य है, इसलिए इस कार्य के विषय में लिखने का और बोलने का सभी को हक है। इतना ही नहीं, जो इससे असहमत हैं उनको भी इसका विरोध करने का हक है। हमें अपनी रीति से काम करने का हक है, उनको, अगर वे असहमत हैं, तो विरोध करने का भी हक है।

लेकिन विरोध जो होना चाहिए, वह वैचारिक स्तर पर होना चाहिए। जनता के सामने जाओ, भाषण दो, बोल लो और जिस विषय में संघ के बारे में सोचते हैं, उसका प्रचार करो। इस देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र रहे ऐसा हम चाहते हैं। तो हमें काम करने का अधिकार है और जो हमसे असहमत हैं उनको विरोध करने का अधिकार है। लेकिन विरोध 'बाई फेयर मींस और फाउल' यह लोकतंत्र को शोभा नहीं देता। किसी भी तरीके